

जो भी अभियार्थी डिप्लोमा में दाखिला लेने के इच्छुक है वो दाखिला शुरू होने से पहले क्वालीफाइंग एग्जाम के पास होने के प्रमाण पत्र के साथ साथ निमंलिखित दस्तावेज (डाक्यूमेंट्स) भी बनवा ले | इन दस्तावेजों के बिना दाखिला नहीं दिया जायेगा |

अगर अभियार्थी जनरल केटेगरी के हैं | [HOGC Category]

1. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
2. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

अगर अभियार्थी बैकवर्ड क्लास (ब्लाक ऐ) बी.सी.ए. केटेगरी के हैं | [Backward Class Block-A]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ बैकवर्ड क्लास (ब्लाक ऐ) बी.सी.ए. का सर्टिफिकेट |
2. सक्षम अधिकारी से बना हुआ आय का सर्टिफिकेट (इनकम सर्टिफिकेट) इनकम सर्टिफिकेट 06 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए (इनकम सर्टिफिकेट 2020 का बना हुआ होना चाहिए) |
3. क्रीमी लेयर का एफिडेविट |
4. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
5. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट |

अगर अभियार्थी बैकवर्ड क्लास (ब्लाक बी) बी.सी.बी. केटेगरी के हैं | [Backward Class Block-B]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ बैकवर्ड क्लास (ब्लाक बी) बी.सी.बी. का सर्टिफिकेट
2. सक्षम अधिकारी से बना हुआ आय का सर्टिफिकेट (इनकम सर्टिफिकेट) इनकम सर्टिफिकेट 06 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए (इनकम सर्टिफिकेट 2020 का बना हुआ होना चाहिए) |
3. क्रीमी लेयर का एफिडेविट |
4. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
5. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट |

अगर अभियार्थी अनुसूचित जाती (एस.सी) केटेगरी के हैं | [Schedule Class]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ अनुसूचित जाती (एस.सी) का सर्टिफिकेट
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

अगर अभियार्थी शारीरिक विकलांग (पी.एच) केटेगरी के हैं | [Physically Handicapped]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ शारीरिक विकलांग (एस.सी) का सर्टिफिकेट
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

अगर अभियार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर (ई.डब्ल्यू.एस) केटेगरी के हैं | [Economic Weaker Section]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ इकनोमिक वीकर सेक्षन का सर्टिफिकेट
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

नोट : इस केटेगरी में सिर्फ वही आवेदक आते हैं जो पहले से किसी आरक्षित वर्ग में नहीं है।

अगर अभियार्थी एक्स सर्विसमैन (ई.एस.एम) केटेगरी के हैं |

1. जिला सैनिक बोर्ड से बना हुआ एक्स सर्विसमैन (ई.एस.एम) केटेगरी का सर्टिफिकेट
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

अगर अभियार्थी AICTE की ट्र्यूशन फीस वेवर (टी.एफ.डब्ल्यू) योजना के तहत आवेदन करना चाहता है | [Tuition Fees Waiver]

1. सक्षम अधिकारी से बना हुआ आय का सर्टिफिकेट (इनकम सर्टिफिकेट) इनकम सर्टिफिकेट 06 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए (इनकम सर्टिफिकेट 2020 का बना हुआ होना चाहिए) |
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट / हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट

नोट : TFW केटेगरी में वो आवेदक पात्र होंगे जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख से अधिक नहीं है।

उपरोक्त के इलावा सभी आवेदकों को दाखिले के समय मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी देना होगा |

Medical Fitness Certificate may be from Govt./ Registered Medical Practitioner with MBBS degree.

For more details, please call at **1800-137-3735** (Toll free).